न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

6(ए) वाद संख्या–13/2015

बिहार सरकार द्वारा अनु0 पदाधिकारी, सदर बनाम मो0 मोजीबुर रहमान एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
30/01/15	आदेश	

आदेश

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के पत्रांक–31 दिनांक– 12.01.15 से अशोक पेपर मिल थाना कांड संख्या–04/15 दिनांक–04.01.15 से जप्त खाद्यान्न तथा अन्य सामग्रियों के अधिहरण करने संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ की गयी। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि सरकारी अनुदानित खाद्यान्न का अवैध व्यवयाय के आरोप में मो0 मोजीवुर रहमान, राम सेवक साह एवं राम राज साह आदि के विरूद्ध दिनांक–04.01.2015 को अशोक पेपर मिल थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–07 के तहत प्राथमिकी संख्या–04/15 दर्ज की गयी। जप्त खाद्यान्न में 272.62 क्वीं0 गेहूँ तथा 313.84 क्वीं0 चावल अतिरिक्त एक अद्द इलेक्ट्रॉनिक कॉटा 2. केजी, 5 केजी, 10 केजी एवं 20 केजी का वाट प्रत्येक एक अद्द तथा प्लास्टिक का नया खाली बैग 118 अद्द है। जप्त खाद्यान्न एवं सामग्री तीन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं यथा मो0 आदिल, पंचायत– सिधौली, रघनाथ चौधरी, पंचायत–श्रीरामपुर एवं गुलाम हसन पंचायत सिधौली को सुरक्षित रखने हेतु जिम्मेनामा पर दिया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा में जप्त खाद्यान्नों को 6(ए) के तहत अधिहरण करने की अनुशंसा की गयी है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत स्पष्ट होता है कि जप्त की गयी खाद्यान्न खराब होने के कारण अशोक पेपर मिल थाना कांड संख्या–04/15 में जप्त खाद्यान्नों को स्थानीय बाजार में बिकी कर प्राप्त राशि अनुमण्डल नजारत में जमा किया जाना श्रेस्कर होगा, जिसे वाद के अंतिम निर्णय होने उपरांत कार्रवाई अपेक्षित होगी।

अतएव अनुण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को आदेश दिया जाता है कि अशोक पेपर मिल थाना कांड संख्या–04/15 में जप्त 272.62 क्वीं0 गेहूँ तथा 313.84 क्वीं0 चावल एवं प्लास्टिक का खाली बैग–118 अद्द स्थानीय बाजार में बिकी कराकर प्राप्त राशि अनुमण्डल नजारत में जमा कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

प्रतिपक्षी के सदस्यों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख पुनः दिनांक–16/4/15 को रखें।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक 245 / जि0 वि0 दिनांक 07-02-2015

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि समाहर्त्ता महोदय, दरभंगा द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजने की कृपा की जाय।

[illegible] 7/2/15